५२

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 139/2017

दायर दिनांक–14.11.2017

1 जगदीश दत्तक पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़।

– आवेदक

बनाम

1. फुलाराम पुत्र रूपा (मृतक) बिदामी पत्नी फुलाराम
2. मोहन पुत्र रूपा
3. महेन्द्र कुमार पुत्र सोनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

–अनावेदकगण

वकील वादी :– **श्री विपल्व पंडित**
वकील प्रति॰ नं॰ :– **श्री आनन्दी लाल सैनी, विजेन्द्र सिंह जाखड़**

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 05.07.2023

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि:– ग्राम झाझड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 629 रकबा 3 बीघा 4 विश्वा, खसरा नम्बर 646 रकबा 3 बीघा 11 विश्वा, खसरा नम्बर 647 रकबा 1 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 16 विश्वा स्थित है। उपरोक्त भूमि का खातेदार काश्तकार रूपला उर्फ रूपाराम पुत्र त्रिलोका था अर्थात उपरोक्त भूमि रूपला उर्फ रूपाराम की खातेदारी काश्तकारी की भूमि थी। उपरोक्त भूमि का खसरा नम्बर बदले जाकर नये खसरा नम्बर 237 रकबा 0.05 है, खसरा नम्बर 2224/238 रकबा 0.8470 है0 खसरा नम्बर 2225/238 रकबा 0.013 है0 खसरा नम्बर 245 रकबा 0.81 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.72 है0 डाले गये। उपरोक्त भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। रूपला उर्फ रूपाराम पुत्र त्रिलोका का सजरा प्रार्थना पत्र की धारा 2 में दर्शित किया गया है। उक्त वंशावली से स्पष्ट है कि रूपला उर्फ रूपाराम के कुल पांच उत्तराधिकारी पैदा हुये जिनका रूपाराम की सम्पति में 1/5–1/5 हिस्सा था। रूपाराम के पुत्र मालिया ने अपना 1/5 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आवेदक को विक्रय कर दिया। आवेदक रूपाराम के पुत्र कालूराम का दत्तक पुत्र है तथा एक पुत्र नाऔलाद फौत हो गया तथा दो पुत्र क्रमशः अनावेदक नं0 1 व 2 है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादित भूमि आवेदक के दादा रूपला उर्फ रूपाराम की खातेदारी की भूमि थी। रूपाराम के फौत होने पर रूपाराम की भूमि की खातेदारी उसके पांचो पुत्रों क्रमशः मालिया उर्फ मालाराम, कालू, बेगा, फूलाराम व मोहन के बतौर उत्तराधिकार प्राप्त हुई जिनका प्रत्येक का विवादित भूमि में 1/5–1/5 हक हिस्सा था। मालिया उर्फ मालाराम ने अपने 1/5 हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.08.1998 के द्वारा आवेदक को विक्रय कर दी जिसका नामान्तकरण भी आवेदक के पक्ष में जरिये नामान्तकरण संख्या 656 में तस्दीक हो चुका है। रूपला उर्फ रूपाराम के पुत्र कालू की शादी हुई थी इसलिये स्व0 कालू ने अपने सगे भाई अनावेदक नं0 2 मोहन व उसकी पत्नी की सहमति से उसके पुत्र आवेदक जगदीश को बचपन में आज से काफी वर्ष पूर्व जब आवेदक 8 वर्ष का था उस वक्त ही गोद ले लिया था तब से लेकर स्व0 कालू की मृत्यु तक स्व0 कालू के साथ रहा तथा बतौर पुत्रवत कार्य सम्पादित किये। आवेदक की [illegible] स्व0 कालू ने ही की थी और आवेदक अब भी अपने बच्चो सहित स्व0 कालू [illegible] के वारिस है तथा समाज घर गांव रिश्तेदारी में आवेदक को स्व0 कालू के पुत्र के [illegible] जाना जाता है। आवेदक के परिवार राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र आधार कार्ड में भी आवेदक के पिता का नाम का[illegible] ही दर्ज है। विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में 1/5 हिस्से की खाते[illegible] मे भी आवेदक के पिता का[illegible] दत्तक पुत्र कालुराम दर्ज है। आवेदक ने रूपाराम के पुत्र मालिया उर्फ मालाराम से उसके 1/5 हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय खरीदी है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 22.08.1998 में आवेदक ने जगदीश दत्तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:12:21 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

पु[illegible] कालूराम की हैसियत से भूमि खरीदी है व आवेदक कालूराम का दत्तक पुत्र है। स्व0 कालूराम की मृत्यु तक [illegible] मृत्यु के समय सम्पूर्ण क्रियाक्रम बतौर पुत्र के आवेदक ने ही किया है। इस प्रकार आवेदक स्व0 कालूराम का दत्तक पुत्र है तथा स्व0 कालूराम की चल अचल सम्पति का एक मात्र उत्तराधिकारी है। रूपला उर्फ रूपाराम का एक पुत्र बेगा नाऔलाद अविवाहित फौत हो चुका है जिनके उत्तराधिकारी आवेदक, अनावेदक नं0 1 व 2 है। इस प्रकार विवादित भूमि मे आवेदक अनावेदक नं0 1 व 2 है। इस प्रकार विवादित भूमि में आवेदक व हिस्सा निम्न प्रकार है:– 1/5 हिस्सा मालिया उर्फ मालाराम से क्रय किया, 1/5 हिस्सा कालूराम का दत्तक पुत्र होने की हैसियत से 1/15 हिस्सा बेगा के 1/5 हिस्से में से कुल 7/15 हिस्सा है। तथा अनावेदक नं0 1 का 1/5 हिस्सा खुद का तथा 1/15 हिस्सा बेगाराम के हिस्से मे कुल 4/15 हिस्सा अनावेदक नं0 2 का 1/5 हिस्सा खुद का 1/15 हिस्सा बेगाराम के हिस्से में कुल 4/15 हिस्सा है। इस प्रकार विवादित भूमि मे 7/15 हिस्सा आवेदक का 4/15 हिस्सा अनावेदक नं0 1 का 4/15 हिस्सा अनावेदक नं0 2 का है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त है। उक्त विवादित भूमि पूर्व में स्व0 रूपला उर्फ रूपाराम की रही है जो पीढियों से चली आ रही है स्व0 रूपला उर्फ रूपाराम के स्वर्गवास उपरान्त वादग्रस्त भूमि उसके उत्तराधिकारियों को विरासतन प्राप्त हुई है। स्व0 कालूराम अविवाहित था जिसके कोई पुत्र व पुत्री संतान नही थी। इसलिये हिन्दू मान्यताओं के अनुसार स्व0 कालू ने अपने जीवनकाल मे आवेदक को गोद ले लिया तथा गोद लेने के वक्त दत्तक के लिये आवश्यक रश्मों अर्थात गोद लेने व देने की रश्म का आयोजन किया गया। समाज व बिरादरी को बुलाया गया, गुड़ पतासे बांटे गये मंगल गीत गाये गये तब से आवेदक कालू का दत्तक पुत्र है। गोद लेने के पश्चात जो हक अधिकार जायन्दा संतान का प्राप्त थे वही हक अधिकार आवेदक को प्राप्त हो गये। स्व0 कालूराम अनपढ व्यक्ति थे जिन्हें कानून का ज्ञान नही था इसलिये कोई गोदनामा तस्दीक नही करवाया बल्कि हिन्दू प्रथाओं के अनुसार पूरे समाज के सामने गोद की सभी रश्मों को पूरा करके गोद पुत्र के रूप दिया व स्वीकार किया गया तथा आवेदक भी स्व0 कालूराम के जीवनकाल मे पुत्र के रूप मे साथ रहा तथा पुत्र की सम्पूर्ण जिम्मेदारियों को निभाया तथा अंतिम समय तक के क्रियाक्रम पूर्ण किये हिन्दू मान्यताओं के अनुसार गोद के लिया रश्म का आयोजन होना आवश्यक है चाहे गोद की रजिस्ट्री मात्र गोद की सम्पोषक साक्ष्य मानी जाती है। इस प्रकार आवेदक कालूराम का एक मात्र उत्तराधिकारी है तथा बेगाराम नाऔलाद फौत हुआ है इसलिये बेगारांम के 1/5 हिस्से मे आवेदक व अनावेदक नं0 1 व 2 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/15–1/15 हिस्सा है परन्तु अनावेदक नं0 1 व 2 चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति है जिन्होंने पटवारी हल्का से मिलकर साजिश के तौर पर बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई जानकारी दिये आवेदक के पिता कालूराम व आवेदक के पिता के भाई बेगा की फौतगी का इन्तकाल संख्या 708 अनावेदक नं0 1 व 2 ने मात्र अपने आपको उत्तराधिकारी बताकर विधि विरूद्व रूप से अपने नाम से तस्दीक करवा लिया जबकि कालूराम का एक मात्र उत्तराधिकारी आवेदक है तथा बेगाराम के उत्तराधिकारी आवेदक व अनावेदक नं0 1 व 2 है परन्तु अनावेदक नं0 1 व 2 ने आवेदक को मिलने वाले हक हिस्से से वंचित करने के लिए नांमान्तकरण संख्या 708 अपने नाम दर्ज करवाकर गलत राजस्व रिकॉर्ड बना लिया जिससे आवेदक के अधिकारों पर क्लाउड आ गया है। नामान्तकरण संख्या 708 आवेदक के अधिकारों पर निरस्तनीय है। विवादित भूमि में आवेदक का 7/15 हिस्सा अनावेदक नं0 1 का 4/15 हिस्सा अनावेदक नं0 2 का 4/15 हिस्सा है इसी अनुसार कब्जा काश्त है इसलिये उपरोक्त हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे तथा घोषित खातेदारी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे जिसके लिये वाद बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ। विवादित भूमि स्व0 रूपला उर्फ रूपाराम की सम्पति थी। जिसमें 1/5 हिस्सा आवेदक ने क्रय किया है। 1/5 हिस्सा आवेदक का कालूराम का दत्तक पुत्र होने की हैसियत से तथा तथा 1/15 हिस्सा बेगाराम के हिस्से से मिला है अर्थात आवेदक का कुल 7/15 हिस्सा है तथा 4/15–4/15 हिस्सा अनावेदक नं0 1 व 2 का है लेकिन आवेदक के पिता कालूराम व उनके भाई बेगाराम के फौत होने [illegible] नं0 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके उनकी फौतगी का इन्तकाल संख्या 708 [illegible] अपने आपको उत्तराधिकारी बताकर अपने नाम दर्ज करवा लिया तथा राजस्व रिकॉर्ड [illegible] करवा ली और राजस्व रिकॉर्ड आगे से आगे गलत बन गया जिसको बेजा फायदा अनावेदक नं0 1 ने खसरा नम्बर 245 रकबा 0.81 है0 में अपने हक अधिकारों से अधिक भूमि का विक्रय प[illegible] दिनांक 21.07.2014 को अनावेदक नं0 3 के पक्ष में तस्दीक करवा दिया। अनावेदक नं0 1 का ज्यादा से ज्यादा विवादित भूमि खसरा नंबर 145 में 4/15 हिस्सा ही था परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में गलत खातेदारी दर्ज करवाकर 2/15 हिस्से का

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:12:21 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (एम.के.)
[illegible]

[illegible]य पत्र अनावेदक नं0 3 के पक्ष में तस्दीक करवाया है जिसमें ना तो कानूनन अधिकारों का अन्तरण हुआ [illegible] ना ही मौके पर कब्जे का परिदान हुआ है मात्र नुमाईशी विक्रय पत्र तस्दीक हुआ है। विक्रय पत्र आवेदक के अधिकारों पर बेअसर प्रारम्भतः शून्य है। जिससे कोई कानूनन अधिकार अर्जित नही हुए है। इसलिए अनावेदक नं0 1 ने दिनांक 21.07.2014 को जो तथाकथित विक्रय पत्र अनावेदक नं0 3 के पक्ष में तस्दीक करवाया है उसे आवेदक के अधिकारों पर बेअसर शून्य नल एण्ड वोइड घोषित फरमाया जावें जिसके लिए उक्त वाद/ प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा मे पेश करना आवश्यक हुआ है। विवादित भूमि में अनावेदक नं0 1 ने गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर गलत खातेदारी दर्ज करवाकर अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय पत्र अनावेदक नं0 3 के नाम से दर्ज करवा दिया तथा अनावेदक नं0 3 ने भी शून्य विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड मे अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि अनावेदक नं0 3 का मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है इसलिये आवेदक को अनावेदकगण द्वारा की गई कार्यवाही का कोई इल्म नही हुआ। विवादित भूमि आवेदक की पैत्रिक सम्पति है जिसमे आवेदक का कानूनन हक अधिकार व काबिज काश्त है। इसलिए आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 169 की भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 0.05 है0 खसरा नम्बर 2224/238 रकबा 0.847 है खसरा नम्बर 2225/238 रकबा 0.0130 है0 खसरा नम्बर 245 रकबा 0.81 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.72 है0 विवादित भूमि के संबंध में अनावेदकगण गलत खातेदारी दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर विवादित भूमि को विक्रय व हस्तांतरित नही करें। किसी वितीय संस्था के रहन नही रखे। अनावेदक नं0 3 जो विवादित भूमि के संबंध में अजनबी है तथा शून्य विक्रय पत्र की आड़ में विवादित भूमि पर कब्जा नही करें। आवेदक को ताकत व लठ के बल पर बेदखल नही करें। आवेदक को उसके हिस्से की भूमि को शांति से काश्त करने देवें। किसी प्रकार की मदालखत पैदा नही करें। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक नम्बर 1 की ओर से वकील श्री आनन्दी लाल सैनी उपस्थित हुये।

अनावेदक नम्बर 01 की ओर से जावाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र में केवल दावा पेश करना स्वीकार है बाकी कथन जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने के कारण अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि स्थित होना स्वीकार है लेकिन उपरोक्त भूमि किसी प्रकार से विवादित नही है तथा आवेदक द्वारा रूपाराम की वंशावली के अनुसार रूपाराम के पांच पुत्र होना स्वीकार है लेकिन आवेदक ने अपने आपको कालूराम का दत्तक पुत्र होना दर्ज किया है जो पूर्णतया गलत एवं निराधार है। कालूराम ने आवेदक को कभी भी गोद नही लिया। रूपाराम की सम्पति में पांच पुत्रों का 1/5-1/5 हिस्सा आवश्यक था तथा रूपाराम के पुत्र मालिया उर्फ मालाराम द्वारा अपना 1/5 हिस्सा आवेदक को विक्रय किया था लेकिन आवेदक द्वारा अपने आपको कालूराम का दत्तक पुत्र बताया जाना पूर्णतया निराधार है। आवेदक अनावेदक नं0 2 मोहन का जाईन्दा पुत्र है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित रूपाराम उर्फ रूपला की खातेदारी की भूमि पांचों पुत्रों मालिया उर्फ मालाराम, कालू, बेगा, फूलाराम व मोहन को बतौर उत्तराधिकार प्राप्त होना स्वीकार है जिनका प्रत्येक का 1/5 -1/5 हिस्सा होना तथा मालिया उर्फ मालाराम द्वारा अपना 1/5 हिस्सा आवेदक को विक्रय करना जिसका नामान्तकरण आवेदक के पक्ष में स्वीकृत होना स्वीकार है लेकिन कालूद्वारा आवेदक [illegible] लिया जाना पूर्णतया गलत व निराधार है। स्व कालू ने आवेदक को कभी भी गोद नही लिया [illegible] ने अपने आपको कालूराम का पुत्र दर्ज करवाने हेतु यदि कोई दस्तावेज [illegible] एवं साजशी है जिससे आवेदक को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही [illegible] मिथ्या व मनगढंत दर्ज किये है। आवेदक अनावेदक नंबर 2 मोहन का जाईन्दा पुत्र है। उपरोक्त व[illegible] भूमि में आवेदक का मालिया उर्फ मालीया से 1/5 हिस्सा क्रय करने के आधार पर आवेदक का उक्त भूमि में 1/5 हक व हिस्सा है तथा कालूराम व बेगा नाऔलाद फौत हो जाने से उनके हक व हिस्से की भूमि अनावेदक नंबर 1 व 2 के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 708 दर्ज हुई। इस प्रकार उपरोक्त भूमि में अनावेदक नंबर 1 व 2 प्रत्येक का 2/5-2/5 हक व हिस्सा है। इसी अनुसार मौका पर कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:12:21 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ़

...ना पत्र की मद संख्या 2 के अनुसार अंकित भूमि स्व0 रूपला उर्फ रूपाराम की होना स्वीकार है तथा रूपाराम उर्फ रूपला के स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके उत्तराधिकारियों को भूमि विरासतन प्राप्त होना भी स्वीकार है। लेकिन स्व0 कालूराम द्वारा आवेदक को गोद लिये जाने का तथ्य पूर्णतया गलत एवं निराधार है। स्व0 कालूराम द्वारा आवेदक को कभी भी गोद नही लिया गया। स्व0 कालूराम व बेगाराम नाऔलाद फौत हुए थे। जिससे उनके हिस्से की भूमि अनावेदक नं0 1 व 2 के नाम दर्ज हुई जो नियमानुसार सही हुई। आवेदक अनावेदक नंबर 2 मोहन का जाईन्दा पुत्र है जिससे वह कालूराम व बेगाराम का किसी भी प्रकार से उत्तराधिकारी नही है न ही आवेदक उनके हक व हिस्से की भूमि से किसी भी प्रकार से कोई संबंध रखता है। आवेदक अनावेदक संख्या 2 मोहन का पुत्र होने से उसका बेगाराम व फूलाराम के हिस्से की भूमि से कोई वास्ता नही है। आवेदक द्वारा गलत दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार दर्ज है गलत एवं अस्वीकार है। आवेदक स्व कालूराम का दत्तक पुत्र नही है ना ही कालूराम द्वारा आवेदक को कभी गोद लिया गया। आवेदक अनावेदक नं0 2 मोहन का पुत्र है। आवेदक का उपरोक्त वर्णित भूमि में मालिया उर्फ मालीराम से क्रय करने के आधार पर आवेदक का 1/5 हक व हिस्सा है। तथा अनावेदक नं0 1 व 2 का 1/5–1/5 हिस्सा स्वयं का तथा बेगाराम व फूलाराम नाऔलाद फौत होने से उनका 1/5 –1/5 हिस्सा जरिये उत्तराधिकार अनावेदक नं0 1 व 2 को प्राप्त हुआ जिसे अनावेदक नं0 1 व 2 प्रत्येक का भूमि में 2/5 हक व हिस्सा है। अनावेदक नं0 1 ने अपने हिस्से की भूमि खसरा नं0 245 रकबा 0.81 है0 में से अपना 2/5 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 21.07.2014 को अनावेदक नं0 3 को विक्रय कर मौके पर अनावेदक नं0 3 को कब्जा सौंप दिया जो नियमानुसार सही है। आवेदक को उपरोक्त विक्रय पत्र को किसी प्रकार से बेअसर करवाने का कोई अधिकार नही है। आवेदक द्वारा गलत तथ्य अंकित करते हुए दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक संख्या 1 ने अपनी 2/5 हिस्से की खातेदारी में से अनावेदक संख्या 3 को विक्रय कर मौके पर कब्जा सौंप दिया था जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया। वर्तमान में उक्त भूमि पर अनावेदक संख्या 03 का कब्जा व काश्त है। आवेदक व अनावेदक नं0 1 लगायत 03 भूमि के सहकाश्तकार है जिससे आवेदक अनावेदक नं0 1 लगायत 3 के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है। आवेदक ने अपने आपको गलत रूप से स्व0 कालूराम का दत्तक पुत्र बताकर गलत दावा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अनावेदक नम्बर 2 की ओर से वकील श्री विजेन्द्र सिंह जाखड़ उपस्थित हुये। अनावेदक नम्बर 02 की ओर से जावाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज खसरा नम्बर की भूमि स्थित होना स्वीकार है तथा उक्त भूमि रूपला उर्फ रूपाराम की खातेदारी काश्तकारी की होना भी स्वीकार है। वादी द्वारा वंशावली भी सही प्रस्तुत की गई है। आवेदक का कालुराम का दत्तक पुत्र होना भी स्वीकार है बेगा का नाऔलाद फौत होना भी स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में रूपाराम के पॉच पुत्रों का प्रत्येक का 1/5 होना दिनांक 22.08.1998 को मालिया उर्फ मालाराम द्वारा 1/5 हिस्सा आवेदक को विक्रय करना स्वीकार है जहां तक आवेदक को कालू को गोद देने का प्रश्न है वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर गोद देने व लेने की रश्म अदा करके गोद दिया गया है। आवेदक कालूराम का दत्तक पुत्र है बाकी इबारत भी स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 स्वीकार है परन्तु जहां तक नामांतकरण संख्या 708 का प्रश्न है उत्तरदाता को कोई जानकारी नही है। तमाम कार्यवाही अनावेदक संख्या 1 ने की है जिसका उत्तरदाता को भी ईल्म नही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 स्वीकार है। अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 3 के पक्ष में गलत रिकॉर्ड के आधार पर विक्रय पत्र गलत तस्दीक करवाया है। अनावेदक संख्या 1 ने हिस्सेदारी से अधिक भूमि का विक्रय पत्र करवाया है जिसमें कब्जे का परिदान भी अनावेदक संख्या 3 ... नही किया गया है वैसे भी अनावेदक संख्या 3 स्ट्रेन्जर है जिसको कब्जा ... नही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 लगायत 9 स्वीकार है। अतः जबाब ... आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:12:21 IST
Reason: SelfAttested

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को तथा वकील अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

ए.सी.ई.एम.(प्र.क्षे.)
नवलगढ

...रण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन** :– **दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है।** :– राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 169 की भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 0.05 है0 खसरा नम्बर 2224/238 रकबा 0.847 है खसरा नम्बर 2225/238 रकबा 0.0130 है0 खसरा नम्बर 245 रकबा 0.81 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.72 है0 स्थित है। आवेदक व अनावेदकगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार है। आवेदक ने खातेदार काश्तकार के खिलाफ चाही निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है बिना घोषणार्थ के स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। आवेदक ने गलत रूप से दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर विक्रय पत्र तस्दीक होना कथन किया है जिसे दावे में नल एण्ड वोइड विक्रय पत्र कथन किया है जबकि ऐसा विक्रय पत्र शून्य नही होता है बल्कि शून्य करणीय होता है। उक्त भूमि के संबंध में नामांतकरण स्वीकृत करने के विषय में तहसीलदार नवलगढ़ के समक्ष कार्यवाही प्रकरण संख्या 2020 चली थी जिसमें तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा वाद जांच एवं पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 25.11.2000 को निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय में मालाराम ने अपने हिस्से की भूमि पूर्व में अपने भाई के लड़के जगदीश को विक्रय कर दी तथा कुंवारा फौत हो चुका है। शेष दो भाई कालू, बेगा भी कुंवारे फौत हो चुके है और वे दोनों जीवन काल मे प्रार्थी फूला, मोहन के पास ही रहे है तथा अंत में पारित आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि कालूराम बेगा के प्राकृतिक वारिस उनके सगे भाई फूलाराम और मोहन है। उक्त निर्णय पर आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष कोई आपत्ति दर्ज नही करवाई गई थी। मोहन द्वारा बयान में सहमति प्रदान करते हुए बयान दिए गए तत् समय गोद जाने के तथ्य प्रकट नही किए गए थे। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में ना ही कोई दस्तावेज पेश किये जिसके आधार पर यह साबित हो कि आवेदक स्व0 कालूराम का दत्तक पुत्र है। उक्त भूमि में आवेदक व अनावेदकगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड उनके नाम से दर्ज चला आ रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र में आवेदक द्वारा रजिस्टर विक्रय पत्र को निरस्त करने की इस्तदुआ चाही है जो कि सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष में होना नही पाया जाता है।

2. **अपूरणीय क्षति** :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के विरूद्ध पाये जाने के कारण आवेदक को कोई अपूरणीय क्षति प्रतीत नही होती है।

उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने, दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आधारहीन है। लिहाजा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

ए. सी. एम. (एफ. ट्रे.)
नवलगढ़
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:12:21 IST
Reason: SelfAttested